राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र. / एन.एच.एम. / आशा / 2015 / भोपाल, दिनांक / / 2015

प्रति,

समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय–आशा प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश।

वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015–16 की मॉड्यूल 6 एवं 7 (प्रथम चक, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र एवं चतुर्थ चक्र) हेतु– गतिविधि कमांक B.1.1.1.2 तथा रिफ्रेशर आशा प्रशिक्षण (1–3) –गतिविधि कमांक B1.1.1.3.1 Supplementary training of ASHA में अनुमोदित गतिविधि के तहत् प्रशिक्षण संचालित किया जाना है।

- जिले में एक अधिकारी को प्रशिक्षण प्रभारी नियुक्त किया जाये। प्रशिक्षण प्रभारी को जिम्मेदारी दी जाये, जो प्रशिक्षण के लिये अपना पूरा समय दे सके। प्रशिक्षण प्रभारी आशा के सभी प्रशिक्षणों में भ्रमण अवश्य करेंगे तथा व्यवस्था एवं प्रशिक्षण गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।
- प्रति बैच प्रशिक्षण में 25 आशा, 2 आशा सहयोगियों, 2 एएनएम एवं 1 एलएचव्ही एवं को शामिल किया जायेगा। अनुत्तीर्ण प्रतिभागियो को पुनः प्रशिक्षण के दौरान मानदेय नही दिया जावेगा, केवल यात्रा व्यय, आवास एवं भोजन व्यवस्था हेतु राशि प्रावधानित है। आपके जिले में स्वीकृत बैच के अनुरूप ही प्रशिक्षण दिया जावे
- यह प्रशिक्षण चार चरणों (चक्र) में संचालित किया जाना है। जिला विदिशा एवं आगर को छोड़कर समस्त जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन हो चुका है उन्हें प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। प्रत्येक चक्र के प्रशिक्षण की अवधि पांच – पांच दिवस की होगी । एक प्रशिक्षण उर्त्तीण करने के बाद ही प्रतिभागियों को अगला प्रशिक्षण दिया जाये तथा इसी प्रकार प्रक्रिया जारी रहेगी।
- प्रत्येक प्रशिक्षण चक्र प्रारंभ करने के पूर्व स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध (एमओयू) कर मूल प्रति राज्य को प्रेषित करें। सभी चक्रों के लिए कम से कम 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अलग अलग एमओयू किये जायेंगे।
- प्रत्येक माह की 20 तारीख तक या प्रशिक्षण प्रारंभ करने के कम से कम एक सप्ताह पूर्व अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण योजना तैयार कर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर उपरांत राज्य की ओर भेजा जाना सुनिश्चित करें, बिना हस्ताक्षर एवं पूर्व स्वीकृति के प्रशिक्षण को अमान्य किया जावेगा।
- प्रशिक्षण योजना तैयार करते समय घ्यान रखे कि समस्त जिला प्रशिक्षकों को समान रूप से प्रशिक्षण कार्य में शामिल किया जाये एवं रोस्टर तैयार कर रोस्टर के अनुरूप ड्यूटी लगाई जाये। सभी प्रशिक्षकों के पास राज्य द्वारा जारी की गयी प्रशिक्षकों के लिए दिशा निर्देश (हेण्डआउट 3) की कॉपी अनिवार्य रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें।
- आशा प्रशिक्षण, माड्यूल एवं शेहड्यूल के अनुसार दिया जाये। प्रशिक्षण के दौरान सहभागी प्रशिक्षण की विधि का उपयोग किया जाये।
- टीकाकरण कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु प्रशिक्षण योजना बुधवार से रविवार तक की बनाई जाये।
  प्रशिक्षण के प्रत्येक चक्र के प्रथम बैच में जिले के सभी प्रशिक्षक अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे। प्रथम बैच का प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षक की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक है। बाद में होने वाले प्रशिक्षणों में भी राज्य प्रशिक्षक / डीसीएम / बीसीएम निगरानी एवं सहयोग हेतु उपस्थित रहेंगें।
- आशाओं से प्रशिक्षण का फीडबैक लिया जाये जैसे उनके लिए प्रशिक्षण कितना उपयोगी था, प्रशिक्षण से उन्हे कार्यों में कितनी मदद मिलेगी, प्रशिक्षण में और किन बातों को शामिल किया जाना चाहिए।

- प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री का उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 एवं 7 हेतु निरीक्षण भ्रमण पर जाने वाले राज्य प्रशिक्षकों के रहने रूकने एवं खाने तथा मोबिलिटि की व्यवस्था जिले द्वारा की जानी है। इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षकों के रूकने हेतु प्रतिदिन रूपये 2000 के मान से राशि स्वीकृत है, अतः जिले द्वारा Impenaled होटल में ही राज्य प्रशिक्षकों को ठहराया जायें।
- राज्य प्रशिक्षकों को स्टेशन/बस स्टेण्ड से होटल तथा होटल से प्रशिक्षण स्थल लाने ले जाने हेतु शासकीय वाहन का ही उपयोग किया जाये। अलग से पूरे दिन हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता नही है। जिस दिन क्षेत्रीय भ्रमण किया जाये केवल उसी दिन हेतु वाहन किराये पर लिया जाये।
- यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है प्रशिक्षणार्थियों व प्रशिक्षक को प्रशिक्षण स्थल पर निवास करना अनिवार्य है। आशाओं, आशा सहयोगी, एएनएम एव एलएचवी को प्रशिक्षण में भेजने का उत्तरदायित्व विभाग का है। अतः प्रतिभागियों को प्रशिक्षण की सूचना कम से कम पांच दिन पहले लिखित में नाम बार भेजी जाये साथ ही प्रशिक्षण हेतु पूर्व में प्रदाय की गये मॉड्यूल एवं किट का सामान साथ में लाने हेतु निर्देशित करे, जिससे वह अपनी तैयारी से प्रशिक्षण में उपस्थित हो सकें। ऐसे प्रतिभागी जो बिना किसी योग्य कारण के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहते है, उन प्रतिभागियों के विरूद्व उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही कर राज्य कार्यालय को अवगत करावें।
- एएनएम एवं एलएचवी यदि बिना किसी योग्य कारण के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहते है, उनके विरूद्व उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये 5 दिवस का वेतन कटौत्रा किया जाये।
- 3 X 4 फिट के फ्लैक्स पर बजट की कॉपी प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण हॉल में चस्पा करें ताकि सभी लोग इसे देख सके जिससे प्रशिक्षण के प्रति पारदर्शिता बनी रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, डी पी एम, डीसीएम एवं उपसंचालक, आशा का फोन नं. भी प्रशिक्षण स्थल पर चस्पा करें ताकि आवश्यकता होने अथवा मापदण्डों का पालन नहीं होने पर प्रशिक्षक अथवा प्रशिक्षणार्थी उनसे सम्पर्क कर सकें।
- एलएचव्ही, एएनएम एवं आशा सहयोगी को आशा प्रशिक्षण का मानदेय नही दिया जावेगा। अपितु एलएचव्ही, एएनएम आशा सहयोगी प्रशिक्षण में उपस्थित होने पर आने जाने का वास्तिवक यात्रा व्यय (टीए/डीए) एवं मानदेय का देयक अपने ब्लाक में प्रस्तुत कर प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगी।
- आशाओं को प्रशिक्षण अनुर्त्तीण होने पर मानदेय नही दिया जावेगा, केवल यात्रा व्यय, आवास एवं भोजन व्यवस्था हेतु राशि प्रावधानित है।
- आशा प्रशिक्षण का स्थल का चयन जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय किया जा सकता है परन्तु यह सुनिश्चित करें कि आशाओं एवं प्रशिक्षकेां की सुरक्षा, ठहरने, खाने, पीने, प्रशिक्षण एवं सभी मौलिक सुविधाओं की उचित व्यवस्था हो जैसे–

    1. प्रशिक्षण हॉल भरपूर रौशनी, खुला एवं हवादार,(300 से 425 वर्ग फीट) – प्रति बैच एक,
    2. आवासीय कमरे–प्रति बैच 4 कमरे,
    3. बाथरूम– प्रति बैच 4,
    4. टायलेट– प्रति बैच 4,
    5. किचिन– 1
    6. डाइनिंग हॉल/भोजन हेतु जगह–1
    7. ब्हाइट बोर्ड– प्रति बैच 1
    8. दरी आवश्यकतानुसार।
    9. गद्दे, रजाई, चादर एवं तकिया– एक प्रति आशा,
    10. मौसम एव आवश्यकतानुसार – पंखा एवं कूलर
    11. प्रशिक्षण हेतु प्रोजेक्टर एवं एलसीडी– प्रति बैच 1
    12. लाइट न होने कि स्थिति में जनरेटर–1
    13. स्काइप का सेटअप।

- प्रत्येक बैच का प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षण की रिर्पोट www.asha.mp.gov.in पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराना सुनिश्चित करे, तथा आपके द्वारा जारी राशि की जानकारी भी अनिवार्यतः दर्ज करें।
- संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रबंधन पर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण राज्य प्रशिक्षक, डीसीएम एवं बीसीएम द्वारा किया जाएगा।

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/आशा/एन एच एम/2015/2015 — भोपाल, दिनांक.......................

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एनएचएम, मप्र
4. संचालक (वित्त), एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
7. समस्त, आशा प्रशिक्षण मे संलग्न स्वयं सेवी संस्थाये द्वारा जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश